

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
PO साहब दीगर कार्ड में बरख है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/4/24  
को पेश हो।


20/4/24  
पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
PO साहब दीगर कार्ड में बरख है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/5/24  
को पेश हो।

15/5/24  
पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
PO साहब दीगर कार्ड में बरख है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/24  
को पेश हो।


6  
21/24

पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (मुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भूअ/2023/2552 दिनांक 05.07.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1775/1, 1811, 1783, 1784, 1786, 1787 में रास्ता कोटपुतली-कुचामन स्टेट हाइवे से टापी डोड्या तक प्रस्ताव खातेदारान की आपसी सहमती से तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ व खातेदारान के सहमती पत्र पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 13 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी

भूमि संबंधित हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरूर नाम-संकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

नंबर व तारीख अलकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी हुए

